फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री तुलसीराम **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 26/25**

जीसीएमएस : 2025/95

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 23.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रोडीलाल पिता हेमा गाडरी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत तुलसीदास जी की सराय द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.10.2024, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाडवा द्वारा जारी जन्म तिथी प्रमाण पत्र की प्रति, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाडवा के टी.सी. प्रमाण पत्र की प्रति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाडवा द्वारा जारी कक्षा 6 की अंकतालिका की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, स्वयं प्रार्थी का 100/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पिता हेमा गायरी अंकित होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली व पटवारी हल्का तुलसीदास जी की सराय की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम रोडीलाल पिता हेमा गाडरी नहीं होकर तुलसीराम पिता हेमा गायरी होना बताया हैं। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आनन्दपुरा पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 33, 34, 35, 37, 38 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार रोडीलाल पिता हेमा गाडरी के बजाय तुलसीराम उर्फ रोडीलाल पिता हेमा गायरी संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:42:32 IST
Reason: SelfAttested